समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला पंचायत शाखा)

आदेश

बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्याः–3प/विविध/17–20/2018/4046/पं0रा0, पटना दिनाक 25.07.2018 प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5829/पं0रा0 दिनांक–22.10.2018 एंव 5861/पं0रा0 दिनांक–24.10.2018 के आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत औरंगाबाद जिले के लिए तकनीकी सहायक के कुल 51 रिक्त पदों के लिए विहित प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 17.11.2018 को काउंसलिंग करायी गयी थी, तदोपरांत विभागीय निर्देश के अनुपालन में पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। दिनांक 04.01.2020 को जिलाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पैनल में वरीयता क्रम में आनेवाले वैसे अभ्यर्थियों जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राप्त हो चुका है, का रिक्त पदो के विरूद्ध नियोजन किया जाए। नियोजन के क्रम में तकनीकी सहायक की नियुक्ति पत्रांक–8638/पं0रा0 दिनांक 26.12.2019 के आलोक में CWJC No.21651/2018 रंजन कुमार एंव अन्य बनाम बिहार सरकार एंव अन्य में दिनांक 06.12.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में तकनीकी सहायक का नियोजन किया जाना है। उक्त के आलोक में निम्नांकित 05 (पांच) अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित प्रखंड में तकनीकी सहायक के पद पर पदस्थापित किया जाता है:–

SN	Total Points	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Appointment Category	जिला/ गृह प्रखंड का नाम	पदस्थापित प्रखंड
1	85.5	VIKASH KUMAR	RAMESH SHRMA	11.04.1992	MALE	UR	रफीगंज	गोह
2	80.36	RAVI RANJAN	SHYAM LAL RAM	17.02-1993	MALE	SC	औरंगाबाद	मदनपुर
3	50.59	SONOO KUMAR	RAJ KISHOR CHAURASIYA	15.12.1992	MALE	EBC	रोहतास	कुटुम्बा
4	74.34	PREM KUMAR RANJAN	RAMADHAR RAM	10.08.1976	MALE	SC	हसपुरा	गोह
5	79.36	AKSHAY LAL SIMGH	ASHOK KUMAR SINGH	07.[illegible].1996	MALE	BC	गोह	रफीगंज

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4046/पं0रा0, पटना दिनांक–25.07.2018 में उद्धत तकनीकी सहायक के लिए आवश्यक शर्तें:–

1. उपर्युक्त चयन दिनांक–31 मार्च 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
2. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।
4. जिला पंचायत पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिलाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिन की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।
6. मानदेय :– इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27000 (सत्ताइस हजार) रूपया का मानदेय अनुमान्य होगा।
7. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा नियमतीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।

9. किसी प्रकार की तकनीकी अथवा गलत साक्ष्य प्रमाणित पाये जाने पर नियोजन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

10. योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ ही दहेज लेने/नहीं देने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

11. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. उपर्युक्त क्रमांक–01 से 11 तक सभी बिन्दुओं से संबंधित एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जायेगा एवं दिनांक 06.07.2020 तक जिला पंचायत शाखा में सर्वप्रथम योगदान करेंगे। उसके बाद उन्हें कार्य करने हेतु प्रखंड भेजा जायेगा। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं किये जाने पर उनका दावा मान्य नहीं होगा।

13. इस चयन में कोई त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उसे परिमार्जित कर दिया जायेगा। जिला पंयायत राज पदाधिकारी औरंगाबाद का दायित्व होगा कि ऐसा कोई मामला भविष्य में आने पर उसे चयन समिति के समक्ष रखेंगे।

14. चयनित कर्मियों को तीन माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

15. यह नियोजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में की जा रही है, जो पूर्णतः औपबंधिक है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-21651/2018 रंजन कुमार एंव अन्य बनाम बिहार सरकार एंव अन्य के क्रम में पारित अंतिम निर्णय के अनुरूप नियोजन प्रभावित होगा एवं इसके लिए समानता का दावा मान्य नहीं होगा।

16. भविष्य में किसी भी समय पाया जायेगा कि किसी भी तकनीकी सहायक का शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी/जाली है, तो उनका नियोजन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा समाप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

17. तकनीकी सहायक के निम्नवत दायित्व होंगे:–

i. तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

ii. वार्ड प्रबंधन एंव कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना।

iii. तकनीकी अनुश्रवण, मापी–पुस्तिका संधारण, कार्यों का निरीक्षण, ऑनलाईन रिर्पोटिंग, गुणवता जांच सुनिश्चित करना।

iv. पंचायत सरकार भवन निर्माण के क्रम में तकनीकी पर्यवेक्षण करना तकनीकी सहायक का दायित्व होगा।

v. पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध तकनीकी सहायक सतत् तौर पर तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे।

vi. पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक द्वारा बीस लाख रू० तक तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति दी गयी है।

vii. जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यो को सम्पन्न कराना।

ह०/-
जिलाधिकारी,
औरंगाबाद

ज्ञापांक 659 /पं0, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपि :— सभी चयनित तकनीकी सहायक, जिला औरंगाबाद को सूचनार्थ एंव यथा निदेशित ससमय सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए योगदान प्रस्तुत कर आंवटित कार्यों को सम्पादनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रोग्रामर, जिला पंचायत राज कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ प्रेषित। योगदान प्राप्ति के पश्चात् योगदान की विस्तृत सूचना ससमय देंगे।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि औरंगाबाद जिले वेबसाईट पर पत्र को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— एक प्रति रक्षित संचिका में।

26/6/20

जिलाधिकारी
औरंगाबाद

D:\2020\Technical Assistant Appointment Order 1.docx